न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–8/23 (विविध)

उनवान

1. मीना देवी आयु करीब 65 वर्ष पत्नी स्व0 रामखिलाडी ।
2. आरती आयु करीब 40 वर्ष पुत्री स्व0 रामखिलाडी पत्नी वीरेन्द्र चौधरी जातिगण जाट निवासी सरानी तहसील व जिला धौलपुर।
3. टीना आयु करीब 37 वर्ष पुत्री स्व0 रामखिलाडी पत्नी हरेन्द्र चौहान जाति जाट निवासी सरानी तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी डी 27 गली नम्बर 01 भजनपुरा नई दिल्ली।
4. टिंकू आयु करीब 35 वर्ष पुत्र स्व0 रामखिलाडी जाति जाट निवासी सरानी तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी कैलाश नगर गली नम्बर 07 हाउस नम्बर 2115 नई दिल्ली।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मंगल सिंह पुत्र पदमा जाति जाट निवासी ग्राम सरानी तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी गुदडी मंसूर खॉ गली विन्दागंज आगरा उ0प्र0।
2. गुलाब सिंह } पुत्रगण पदमा
3. महेन्द्र सिंह }
4. रामभरोसी }
5. भगवान देई }
6. गंगादेई } पुत्रीगण पदमा
7. जमुनादेई }
8. सीया }

समस्त जातिगण जाट निवासीगण ग्राम सरानी तहसील व जिला धौलपुर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तारीख दिनांक 16.01.2023 उनवानी मीना बनाम मंगल सिंह प्रकरण संख्या 4/18 न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर।

उपस्थित :– श्री योगेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट।
श्री हरी सिंह बघेला अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :– 18.12.2023

1. यह अपील इस न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर के आदेश दिनांक 16.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पूर्व वाद उनवानी रामखिलाडी बनाम मंगल सिंह, प्रकरण संख्या 54/1979 दिनांक 13.06.1988 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया। वादी रामखिलाडी प्रार्थीगण अपीलाण्ट के पिता थे। जिनका निधन 1988 में हो चुका था। रामखिलाडी की मॉ व पिता का भी निधन रामखिलाडी की नाबालिग अवस्था में हो गया। रामखिलाडी को अप्रार्थीगण रैस्पो0 के पिता पदमा से खतरा होने पर उसकी नानी रामखिलाडी को दिल्ली ले गयी। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुये, अप्रार्थीगण रैस्पो0 ने विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज करा लिया। प्रार्थीगण अपीलाण्ट के पिता रामखिलाडी का जब निधन हुआ तो, प्रार्थीगण अपीलाण्ट भी नाबालिग थे। अतः उन्हें उक्त प्रकरण का ज्ञान नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल दावे को पुनः नम्बर पर लेकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलाण्ट का उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलाण्ट ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में रैस्पो0 के पिता पदमा द्वारा रामखिलाडी के प्रति जो कार्यवाही की गयी है, वह नाबालिग के विरूद्ध की गयी है। पत्रावली पूर्व में रजीनामा में चल रही थी तभी रामखिलाडी की मृत्यु होने पर प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। रामखिलाडी के अभिभाषक द्वारा कोई नोटिस प्रार्थीगण अपीलाण्ट को नहीं दिया गया। रामखिलाडी की मृत्यु के समय अपीलाण्ट भी नाबालिग थे एवं उनकी माता को उक्त प्रकरण का ज्ञान ना होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अपीलांट को सर्वप्रथम प्रकरण की जानकारी अपीलाण्ट के बालिग होने एवं उनके द्वारा अपनी पैतृक भूमि को गॉव में देखने जाने व रैस्पो0 के द्वारा धमकी दिये जाने एवं विवादित भूमि में अपीलाण्ट का कोई हिस्सा ना होना कथन करने पर हुयी। अतः जानकारी की दिनांक से अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही की गयी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। पूर्व प्रकरण में तनकीयात कायम होने पर समझौते पर आयी थी। अपील पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2015 के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि विवादित आराजी रामखिलाडी वल्द धाधू नाबालिग व सरपरस्ती पदमा बल्द चतुरे के नाम दर्ज रही है। इस प्रकार अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया विवादित आराजी में स्वत्व बनता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, प्रकरण पुनः गुणावगुण पर सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट ने पूर्व वाद को पुनः नम्बर पर लेने की कार्यवाही लगभग 30 वर्ष बाद की गयी है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त ना होकर, रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। रैस्पो0 के पिता पदमा का देहान्त होने के बाद विरासत का नामान्तकरण दिनांक 29.12.1975 में रैस्पो0 के पक्ष में खोला गया है। अपीलाण्ट ने उक्त नामान्तकरण की कोई अपील नहीं की गयी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

अपीलण्ट ने अपने पिता की मृत्यु तिथि भी अंकित नहीं की गयी है। अपीलाण्ट के पिता कभी भी सरानी खेडा में नहीं रहे। हमेशा से दिल्ली में निवास किया। विवादित आराजी रैस्पो0 की पैतृक आराजी है। जिसे अपीलाण्ट हडपना चाहते हैं। अपीलाण्ट ने इतने वर्ष वाद प्रकरण में प्रार्थना पत्र 9 नियम 9 एवं आदेश 22 नियम 3 व 22 नियम 4 प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभीभाषक अपीलाण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 के पिता ने अपीलाण्ट की नाबालिगी का फायदा उठाकर विवादित आराजी को अपने नाम करा लिया। रैस्पो0 के पिता अपीलाण्ट के पिता के ही संबंधी हैं। जैसे ही अपीलाण्ट के पिता को पता चला कि रैस्पो0 के पिता ने विवादित आराजी को अपने नाम करा लिया है, तो अपीलाण्ट के पिता ने, अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद कब्जा वापसी का किया, जो उनकी मृत्यु उपरान्त अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज हो गया। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के समय अपीलाण्ट भी नाबालिग ही थे। अतः नाबालिग के विरूद्ध पारित निर्णय में मियाद का कोई महत्व नहीं है। फिर भी अपीलाण्ट मियाद को कण्डोन कराने हेतु हर्जा देने को तैयार हैं। अतः प्रकरण के गुणावगुण निस्तारण हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि मूल दावा दिनांक 13.06.1988 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने के पश्चात् प्रार्थीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2018 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09, आदेश 22 नियम 3, आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी का प्रस्तुत किया गया है, जो लगभग 30 वर्ष की देरी के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो कि असाधारण विलम्ब है। प्रार्थीगण अपीलाण्ट द्वारा अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे प्रार्थीगण अपीलाण्ट के इस कथन को बल मिल सके कि वह अपने पिता की मृत्यु के समय नाबालिग थे। इतने लम्बे समय तक प्रकरण की जानकारी नहीं होना, विश्वास योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से मिंयाद बाहर है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय, धौलपुर के आदेश दिनांक 16.01.2023 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर